उत्तरखंड उच्च न्यायालय नैनीताल
श्री न्यायाधीश एस0के0मिश्रा, ए0सी0जे0
और
श्री न्यायाधीश आर0सी0 खुल्बे, जे।

<u>लिखित याचिका (एम/एस) संख्या 1243/2022</u>
20 जून, 2022

दोनोंः

राजकुमार अदलखा.............. याचिकाकर्ता।

और

छावनी बोर्ड लैंडौर और अन्य............ प्रतिउत्तरदाता।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : श्री धर्मेंद्र बर्थवाल,
विद्वान अधिवक्ता।

प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के अधिवक्ता :श्री बी0एस0 अधिकारी,
विद्वान अधिवक्ता।

प्रतिवादी संख्या 3 और 6 के लिए अधिवक्ता :श्री डी0एस0 रावत, विद्वान स्टेन्डिंग काउंसिल।

विद्वान वकील को सुनने पर, न्यायालय द्वारा निम्नलिखित पारित किया निर्णय (मा0 एस0के0 मिश्रा, ए0सी0जे0)

यह मामला विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निम्नलिखित दो प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बड़ी पीठ को सन्दर्भित किये जाने पर उठाया जाता हैः–

"1. क्या न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 20 के तहत अवमानना याचिका को उसी वाद हेतुक के लिए खारिज करते समय, क्या न्यायालय, न्यायालय की अधिनियम अवमानना धारा 12 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, उसी वाद हेतुक के लिए एक नई रिट याचिका दायर करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रख सकता है?

2. <u>क्या अधिनियम की धारा 20 के तहत अवमानना याचिका को खारिज करने के परिणामस्वरूप, धारा 20 के अंतर्गत खारिज अवमानना के विरोध में होने के कारण नई रिट याचिका की अनुमति प्रदान नहीं करेगा।</u>

ii इस मामले के प्रमुख तथ्य सरल हैं। याचिकाकर्ता ने याचिकाकर्ता के उत्परिवर्तन आवेदन की अनुमति देने और सामान्य भूमि रिकॉर्ड में याचिकाकर्ता का नाम दर्ज करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को निर्देश देने की परमादेश आदेश की एक रिट जारी करने के लिए अनुरोध के साथ एक रिट याचिका (एम/एस) संख्या. 138/2018 दायर की। रिट याचिका विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दिनांक 11.01.2018 को पेश की गई, और विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणियां करते हुए पहली तारीख को ही इसको निस्तारित कर दियाः–

"याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता ने एक प्रार्थना पत्र रक्षा संपदा अधिकारी (प्रतिवादी सं.6) के समक्ष लैंडौर छावनी, लैंडौर, मसूरी में स्थित एक संपत्ति, जो उन्हें तत्कालीन मालिक द्वारा वर्ष 1994 में उपहार में दी गई थी, में नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उत्परिवर्तन के लिए ऐसा आवेदन 20.08.1999 को किया गया था, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वह अपनी प्रार्थना को सीमित करता है और प्रस्तुत करता है कि सक्षम प्राधिकरण/रक्षा संपदा अधिकारी को मामले को देखने और याचिकाकर्ता के आवेदन पर उचित निर्णय लेने के लिए निर्देशित कर दिया जाए।

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना हानिरहित है और स्वीकार किए जाने के योग्य है।

तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है। याचिकाकर्ता को आज से दो सप्ताह के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ रक्षा संपदा अधिकारी को नया प्रार्थना पत्र देने की स्वतंत्रता दी गई है। यदि ऐसा अभ्यावेदन किया जाता है, तो रक्षा संपदा अधिकारी उसके बाद दस सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार एक उचित आदेश पारित करके याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर निर्णय लेगा।

iii इसके बाद, प्राधिकारियों ने याचिकाकर्ता के मामले पर विचार नहीं किया। इसलिए, उन्होंने सीएलसीओएन संख्या. 118/2022 की अवमानना याचिका दायर की। इसे परिसीमा के प्रश्न पर, दिनांक 06.05.2022 को खारिज कर दिया गया था।

लेकिन विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को उचित रिट याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी गयी। हम आदेश के

प्रासंगिक पैराग्राफ का नीचे उत्कथन करते हैं:–

"न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 20 में निहित प्रावधान के मद्देनजर, इस विलंबित चरण में प्रतिवादी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। उक्त अधिनियम की धारा 20 में एक वर्ष की सीमा अवधि का प्रावधान है और मौजूदा मामले में तीन वर्ष से अधिक की देरी हो चुकी है।

मामले को ध्यान में रखते हुए, अवमानना याचिका को याचिकाकर्ता को रिट न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता के साथ देरी के आधार पर खारिज कर दिया जाता है।

iv इसके बाद, याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका (एम/एस) संख्या. 1243/2022 दायर की। यह विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष आया, जो विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 06.05.2022 को पारित आदेश के साथ सम्मानपूर्वक असहमति में था, जिसने उसे एक नई रिट याचिका दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की थी।

v दिनांक 10.06.2022 के आदेश में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा है कि उनका विचार है कि स्वतंत्रता प्रदान करने वाला आदेश दिनांक 06.05.2022 न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 20 के तहत निहित प्रावधानों के उल्लंघन में है, क्योंकि एक बार अवमानना को खारिज कर दिया गया है, जो कि 2018 में अधिनियम की धारा 20 के तहत बनाए गए बार के मद्देनजर उठाया गया था, उसी समय विद्वान एकल न्यायाधीश की राय के अनुसार, उसी अनुतोष के लिए एक नई रिट याचिका दायर कर, याचिकाकर्ता के लिए नया रास्ता नहीं छोडा जा सकता है कि वह फिर से मौजूद रिट याचिका में मांगे गये अनुतोष को पुनः प्रस्तुत कर सके।

vi न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 20 अवमानना के लिए कार्रवाई के लिए सीमा का प्रावधान करती है। यह निम्नानुसार है :–

"20. अवमानना के लिए कार्रवाई की समय सीमा– जिस तारीख को अवमानना का अभिकथित गया है, उस तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद कोई भी न्यायालय अवमानना की कोई कार्यवाही, या तो अपने प्रस्ताव पर या अन्यथा, शुरू नहीं करेगा।"

vii इस मामले में, हमारा विचार है कि एक बार जब मामला गुण दोष के आधार पर तय हो जाता है, और अवमानना को समय सीमा के

प्रश्न पर खारिज कर दिया जाता है, तो यह अवमानना अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायालय के लिए याचिकाकर्ता या शिकायतकर्ता को मामले को फिर से सक्रिय करने की कोई स्वतंत्रता देने के लिए खुला नहीं है क्योंकि मामले को पहले ही एक तर्कपूर्ण निर्णय द्वारा विराम दिया जा चुका है। लेकिन, जब मामले के गुण दोष के संबंध में कोई आदेश/निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है, और याचिकाकर्ता को अधिकारियों के अभिवेदन दायर करने की स्वतंत्रता देते हुए एक हानिरहित आदेश पारित किया गया है, तो अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए और अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 20 को लागू करके सीमा के प्रश्न पर उसे खारिज करने से उसे याचिकाकर्ता या शिकायतकर्ता को मामले को फिर से शुरू करने की स्वतंत्रता देने से नहीं रोका जाएगा, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा जो मामला मूल रूप से उठाया गया था, वह अभी न्यायालय द्वारा निस्तारित किया जाना है।

viii माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए कई निर्णयों में यह निर्धारित किया गया है कि प्रक्रियात्मक कानून मूलभूत कानून की सहायक है। जब भी न्यायालय किसी ऐसे मुद्दे पर विचार करता है जिसमें विधि के मूल प्रावधानों के विरुद्ध विधि का कोई प्रक्रियात्मक पहलू उठाया जाता है, तो यह हमेशा न्याय के हित में समीचीन होता है कि मूल विधि को कायम रखा जाए न कि तकनीकी पहलुओं के पीछे छिपाया जाए। यह भी सामान्य नियम है कि न्यायालय विभिन्न चिरप्रचलित मुकदमों में उसके समक्ष उत्पन्न होने वाले विवाद का न्याय निर्णयन करने, निर्णय देने के लिए मौजूद है, न कि तकनीकी पहलुओं के पीछे छिपाने के लिए।

ix हम यहां यह भी देख सकते हैं कि अभिवेदन के निपटान के लिए निर्देश देने वाली यह प्रथा न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय में भारी विचाराधीनता और फाइलिंग को रोकने के लिए विकसित की गई है। अभिवेदन के इस तरह के निपटान को अंतिम आदेश के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, और यदि अभिवेदन का निर्णय याचिकाकर्ता के दावे के अनुसार नहीं किया जाता है, और याचिकाकर्ता इस मुद्दे पर अधिकारियों के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो उसके पास इसे चुनौती देने के लिए वाद हेतुक भी है।

x मामले के उस दृष्टिकोण में, हमारी राय है कि अधिनियम

की धारा 20 आम तौर पर न्यायालय को याचिकाकर्ता को मुद्दे को फिर से शुरू करने की कोई स्वतंत्रता देने से वर्जित करती है,

विशेष रूप से, जब हम प्रदीप सिंह बनाम महानिदेशक, असम राइफल्स यूपीएओ शाखा (एनई–III) और अन्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन उत्तराखण्ड 428 के मामले में पहले ही निर्णय ले चुके हैं, तो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की खंड 141 के साथ पठित आदेश II नियम 2 इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि संहिता का आदेश II नियम 2 संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च विशेषाधिकार रिट के लिए याचिका पर लागू नहीं होता है। हमने ब्रह्मा सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (2020) 12 एससीसी 762 के रिपोर्ट किए गए मामले पर भी ध्यान दिया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया हैः–

"9. जहाँ तक भारत संघ की ओर द्वारा किए गए दूसरे निवेदन का संबंध है, हमने पहले के आदेश और रिट याचिका को सावधानीपूर्वक पढ़ा है। यद्यपि यह सही है कि रिट याचिका में नियम 6 के तहत सभी लाभ प्रदान करने का एक सामान्य दावा था जिसमें सेवानिवृत्ति लाभ शामिल होंगे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय ने इस पर ध्यान नहीं दिया। याचिका की कोई अस्वीकृति नहीं है और इस प्रकार हमारा विचार है कि यह याचिका अनुरक्षणीय है और इस अति–तकनीकी आधार पर इसे निरस्त नहीं किया जा सकता है।

10. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 2 नियम 2 की प्रयोज्यता के संबंध में इस न्यायालय ने देवेंद्र प्रताप नारायण राय शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया हैः

"12. ... सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 नियम 2 की रोक, जिस पर उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से भरोसा किया था, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च विशेषाधिकार रिट के लिए याचिका पर लागू नहीं हो सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय ने मुकदमा की तारीख से पहले वेतन के लिए अपीलकर्ता के दावे को अस्वीकार कर दिया है, हमें नहीं लगता कि हम उच्च न्यायालय द्वारा अपने विवेकाधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप करना उचित होगा। "देवेंद्र प्रताप नारायण राय शर्मा (सर्वोच्च) के मामले पर भरोसा करते हुए, इस न्यायालय ने गुलाबचंद छोटालाल पारिख बनाम गुजरात राज्य में आदेश II नियम 2 के संबंध में

निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया (ए. आई. आर. पी. 1159, पैरा 26):

"26. ... अपनी भाषा में, ये प्रावधान रिट याचिका की अन्तर्वस्तु पर लागू नहीं होते हैं और परिणामस्वरूप बाद के मुकदमा की अन्तर्वस्तु पर लागू नहीं होते हैं।"

11. मामले के उस दृष्टिकोण में, हमने, तदनुसार, प्रश्नों का उत्तर दिया गया, और विद्वान एकल न्यायाधीश से गुण–दोष के आधार पर मामले पर न्याय निर्णय लेने का अनुरोध किया।

इस आदेश की प्रमाणित प्रति तत्काल नियमों के अनुसार पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को जारी की जाए।

(एस0के0 मिश्रा, ए0सी0जे0)

(आर0सी0 खुल्बे, जे0)

तारीखः20 जून, 2022

निशांत